समाहरणालय, बक्सर
(जिला शस्त्र शाखा)

Phone:- 06183-222336(O), 222335(R)
Fax:- 06183-226935(O),222331(R)
E-mail ID:- dm-buxar.bih@nic.in
E-mail ID:- dam.buxar2016@gmail.com

श्री अमन समीर, भा0 प्र0 से0, जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा दिनांक 25.09.2020 को स्क्रीनिंग समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– 1. जिला पदाधिकारी, बक्सर।
2 पुलिस अधीक्षक, बक्सर।
3 अपर समाहर्त्ता, बक्सर।
4. जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, बक्सर।

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 को स्वच्छ, भयमुक्त एवं निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आज दिनांक 25.09.2020 को स्क्रीनिंग समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव – 1

जिला में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या एवं शस्त्र शाखा द्वारा निर्धारित विगत दो अवसरों पर विभिन्न तिथियों में शस्त्र का सत्यापन के संबंध में आँकड़े रखे गये। जिला में कुल शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या 3466 एवं शस्त्रों की संख्या 3637 है, जिसमें से 2274 शस्त्रों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने शस्त्रों का सत्यापन करा लिया गया है जबकि शेष 1363 शस्त्रों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने शस्त्रों का सत्यापन नही कराया गया है। 971 शस्त्र जिला स्थित दोनो शस्त्रागारों में एवं 416 शस्त्र जिला के सभी थानों में जमा है। असत्यापित शस्त्रों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने शस्त्रों का अब तक सत्यापन नही कराया गया है जो शस्त्र अधिनियम एवं नियमावली का उल्लंघन है। साथ ही बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 की घोषणा के पश्चात विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई अपेक्षित है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा द्वारा द0 प्र0 स0 की धारा 144 के निषेद्याज्ञा के अन्तर्गत सभी प्रकार के शस्त्रों का जिला में आवगमन पर पूर्णतः रोक है ऐसे में असत्यापित शस्त्रों के संबंध में निर्णय लिया गया कि सभी थानाध्यक्ष, बक्सर जिला असत्यापित सभी शस्त्रों के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव– 2

भारत निर्वाचन आयोग का पत्र सं0– 464/INST/2009/EPS दिनांक 01.09.2015 प्राप्त कराया गया है जिसके कंडिका 3.10 में निम्न प्रकार के लाईसेन्सी शस्त्रों को जमा कराने के संबंध में निर्देश दिये गये हैः–

(a) Arms licenses of persons released on bail.
(b) Arms licenses of persons having of criminal offences, and
(c) Arms licenses of persons previously involved in rioting at any time but especially during the election period. The above categories are only illustrative not exhaustive.

अतः निर्णय लिया गया कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 को स्वतंत्र, भयमुक्त एवं निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु उक्त व्यक्तियों के शस्त्रों को दिनांक 30.09.2020 तक संबंधित थाना/ शस्त्रागार में शस्त्र जमा करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करने के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाय। इस आशय की सूचना अनुमण्डल दण्डाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस दण्डाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी

अंचलाधिकारियों को सूचित करने का निर्णय सर्वसम्मिति से लिया गया ताकि निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य यथा निर्धारित चेक पोस्ट पर जाँच से संबंधित किये जा रहे कार्य के दौरान उक्त पर सख्ती से जाँच हो सकें। यदि जाँच के दौरान ऐसे शस्त्र पाये जाते है तो उस पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

प्रस्ताव– 3

बक्सर जिला में जितने भी अनुज्ञप्तिधारी है उनसे यह अपील करने के संबंध में सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि विधि–व्यवस्था के संधारण हेतु स्वेच्छा से अपना शस्त्र संबंधित थाना में जमा कर दें। थानेदारों को निदेश दिया गया कि जिस थाना में मालखाना नही है वे शस्त्रधारियों को बगल के थाने में शस्त्र जमा करने हेतु पर्ची देंगे ताकि शस्त्रधारी अपने सुविधा पूर्वक शस्त्र जमा कर सकें।

प्रस्ताव– 4

शस्त्र दण्डाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी बक्सर को जिले के दोनो शस्त्रगारों के निरीक्षण हेतु संयुक्त रूप से प्राधिकृत किया जाता है। निदेशित किया जाता है कि निरीक्षण उपरान्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। शस्त्र दण्डाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि प्रतिवेदन में दिये गये निदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव– 5

सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सम्पूर्ण जिला के शस्त्र एवं कारतूस की खरीद बिक्री पर पूर्णतः रोक रहेगी।

प्रस्ताव– 6

सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि शस्त्र दण्डाधिकारी, बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करेंगे एवं अपर समाहर्त्ता, बक्सर अनुपालन के बिन्दु की समीक्षा कर प्रतिवेदित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, बक्सर।

ज्ञापांक 09-0005 /श0, दिनांक 25/9/20

प्रतिलिपि :– सभीं थानाध्यक्ष, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर, बक्सर को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– शस्त्र दण्डाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर/डुमराँव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

25/9/20

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी, बक्सर।